4379(E)
1/07/2026

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 30/06/2026 को सम्पन्न परिवाद समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, छपरा के अन्तर्गत Widening and Strengthening work of NH-19 Leftout Portion of Chapra Section (Length-13.40 Km.) for the year 2024-25 कार्य की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में प्राप्त परिवाद पर विभागीय पत्रांक–2217(E) दिनांक–01.04.2026 एवं पत्रांक–2360(E) दिनांक–09.04.2026 द्वारा गठित समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः

(i) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(ii) श्री अनिल कुमार सिंह, अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iii) श्री राजेश कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता, संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iv) श्री सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक–09.06.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही, जो उपभागीय ज्ञापांक–1799 दिनांक–09.06.2026 द्वारा संसूचित है, में लिये गये निर्णय के विरूद्ध प्राप्त परिवाद पर मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1866(अनु०) दिनांक–17.06.2026 के माध्यम से परिवाद पर दिनांक–17.06.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही एवं अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	Widening and Strengthening work of NH-19 Leftout Portion of Chapra Section (Length-13.40 Km.) for the year 2024-25
2.2	योजना मद	:	5054
2.3	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, छपरा।
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹8995.35 लाख। विभागीय ज्ञापांक–361(एस०) दिनांक–16.01.2025
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹8289.38 लाख। मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक–1419 दिनांक–08.05.2026
2.6	परिमाण विपत्र की राशि	:	₹7684.28069 लाख।
2.7	कार्य समाप्ति की अवधि	:	18 (Eighteen) Months.
2.8	निविदा की प्रक्रिया	:	ई–टेंडरिंग (SBD)
2.9	निविदा प्राप्ति की तिथि	:	21.05.2026

2.10	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण	:	पुनर्निविदा है। विभागीय निविदा समिति का ज्ञापांक–2694(ई०) दिनांक–21.04.2026 के द्वारा निविदा को रद्द कर पुनर्निविदा आमंत्रित करने का निदेश दिया गया।

3. विषयांकित पुनर्निविदा में निम्नलिखित 06 (छः) संवेदकों द्वारा भाग लिया गया :–

(1) M/s Baijnath Nirman India Private Limited
(2) M/s J.K. Engicon Private Limited
(3) Rai Raj Construction Pvt. Ltd.
(4) Kawaljeet Singh Contractor
(5) M/s RK Jain Infra Projects Private Limited
(6) BPC Infraprojects Private Limited

4. उपभागीय ज्ञापांक–1799 दिनांक–09.06.2026 द्वारा संसूचित दिनांक–09.06.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में उक्त पुनर्निविदा में छः निविदाकारों में से पाँच निविदाकार यथा (1) M/s Baijnath Nirman India Private Limited (2) M/s J.K. Engicon Private Limited (3) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. (4) M/s R K Jain Infra Projects Private Limited एवं (5) BPC Infraprojects Private Limited को तकनीकी बीड में सफल एवं शेष एक निविदाकार यथा Kawaljeet Singh Contractor को SBD के ITB-Cl.4.3(j) के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही विभागीय निदेश के अनुसार दो कार्य दिवस में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त होने पर सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरांत ही वित्तीय बीड खोलने का निर्णय लिया गया।

5. उपभागीय ज्ञापांक–1799 दिनांक–09.06.2026 द्वारा संसूचित दिनांक–09.06.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की निर्णय के विरूद्ध विषयांकित कार्य की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार यथा Kawaljeet Singh Contractor के पत्रांक–KJSC/26-27/10 दिनांक–10.06.2026 के द्वारा परिवाद/अभ्यावेदन/आपत्ति समर्पित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1866(अनु०) दिनांक–17.06.2026 द्वारा परिवाद पर दिनांक– 17.06.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा समर्पित की गई है।

6. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त निर्णय के विरूद्ध तकनीकी बीड में असफल निविदाकार Kawaljeet Singh Contractor के पत्रांक–KJSC/26-27/10 दिनांक–10.06.2026 द्वारा परिवाद समर्पित किया गया है।

परिवाद/आपत्ति की समीक्षा :—

	परिवाद/आपत्ति	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा परिवाद की समीक्षा एवं निर्णय/अनुशंसा	परिवाद समिति की अनुशंसा
1.	Kawaljeet Singh Contractor द्वारा प्राप्त आपत्ति:— उपरोक्त विषयक सविनय निवेदन है कि संदर्भित कार्यवाही के अन्तर्गत हमारी फर्म "Kawaljeet Singh Contractor" को न्यायालयीन प्रकरणों (Litigation History) के प्रकटीकरण के अभाव के आधार पर तकनीकी रूप से अपात्र घोषित किया गया है। इस संबंध में निम्नांकित तथ्य आदरपूर्वक आपके संज्ञानार्थ प्रस्तुत है:— पत्र में उल्लेखित वाद संख्या—WPMS/82/2022 एवं WPMB/306/2024 किसी तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा निविदा प्रक्रिया में अयोग्य घोषित किए गए जाने के फलस्वरूप विभाग के विरूद्ध दायर याचिकाएँ थी। चूँकि हमारी फर्म उक्त निविदाओं में सहभागी थी। अतः औपचारिक रूप से हमें भी संबंधित वादों में पक्षकार के रूप में सम्मिलित किया गया था। तथापि, उक्त वादों का हमारी फर्म एवं विभाग के मध्य किसी प्रकार के संविदात्मक विवाद, दावे अथवा प्रतिकूल हितों से कोई संबंध नहीं है। 1. वाद संख्या—WPMS/82/2022 उक्त निविदा में हमारी फर्म Lowest Bidder (L-1) रही थी तथा संबंधित कार्य वर्ष—2023 में सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त् विभाग द्वारा हमारी सुरक्षा निधि (Security Deposit) भी विधिवत् वापस कर दी गई है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य के संबंध में न तो हमारी फर्म द्वारा विभाग के विरूद्ध और न हीं विभाग द्वारा हमारी फर्म के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई वाद, दावा अथवा न्यायालयीन प्रकरण	Kawaljeet Singh Contractor से संबंधित वाद संख्या—WPMB/82/2022 एवं WPMS/306/2024 लंबित होने के फलस्वरूप वर्त्तमान निविदा में असफल घोषित किया गया था। दिनांक—11.06.2026 को सम्पन्न विभागीय परिवाद समिति (ज्ञापांक—3953(ई०) दिनांक—12.06.2026) इस उपभाग के पथ प्रमंडल, मोतिहारी के अन्तर्गत Widening & Strengthening of Narirgir-Champapur-Adapur Road from Km. 0.00 to Km. 15.00 for the year 2025-26 (CRIF) कार्य के निविदा में संबंधित निविदाकार Kawaljeet Singh Contractor से सदृश्य मामले पर निर्णय लिया गया, जो इस प्रकार है:— "परिवाद में वर्णित दोनों वाद के Petitioner Kawaljeet Singh Contractor नहीं है। अर्थात् इन दोनों वाद में यह Litigation Creater नहीं है। फलस्वरूप Kawaljeet Singh Contractor को परिवाद में वर्णित दोनों वाद को उनके Litigation History में दर्शानें	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

	संस्थित किया गया है। संबंधित याचिका उस एजेंसी द्वारा की गई थी, जिसके निविदा प्रक्रिया में अयोग्य घोषित किया गया था तथा वह याचिका विभाग के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी। 2. वाद संख्या–WPMB/306/2024 उक्त निविदा में हमारी फर्म Lowest Bidder (L-1) नहीं रही थी तथा कार्य किसी अन्य एजेंसी को आवंटित किया गया था। इस प्रकरण में भी अयोग्य घोषित एजेंसी द्वारा विभाग के विरूद्ध याचिका प्रस्तुत की गई थी। उक्त वाद से हमारी फर्म का किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। यह भी निवेदन है कि आज दिनांक तक विभाग द्वारा हमारी फर्म के विरूद्ध अथवा हमारी फर्म द्वारा विभाग के विरूद्ध किसी भी कार्य के संबंध में कोई वाद, विवाद अथवा न्यायालयीन प्रकरण संस्थित नहीं किया गया है। उपर्युक्त दोनों प्रकरण केवल तृतीय पक्ष द्वारा विभाग के विरूद्ध दायर याचिकाएँ थीं, जिनमें निविदा में सहभागिता के कारण हमारी फर्म को औपचारिक रूप से पक्षकार बनाया गया था। साथ ही यह भी निवेदन है कि उपर्युक्त दोनों प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा आज दिनांक तक हमारी फर्म के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई समन, प्रतिकूल आदेश अथवा अन्य निर्देश निर्गत नहीं किया गया है। फलस्वरूप, हमारी फर्म को उवत प्रकरणों के संबंध में पृथक रूप से किसी न्यायालयीन विवाद अथवा कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण इन्हें अनजानेवश हमारी "Litigation History" के अन्तर्गत प्रकटीकृत नहीं किया जा सका। उक्त परिस्थितियों में तथ्यों के किसी जानबूझकर दमन अथवा छिपाव का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।	की बाध्यता नहीं है। अतः उपरोक्त के आलोक में आपत्ति मान्य किया जाता है।	

	अतः विनम्र निवेदन है कि उपर्युक्त प्रकरणों को हमारी फर्म की "Litigation History" के रूप में अंकित अथवा विचारित न किया जाए तथा उपलब्ध अभिलेखों एवं वस्तुस्थिति के आलोक में हमारी तकनीकी पात्रता पर पुनर्विचार किया जाय। हमारी फर्म द्वारा सदैव विभागीय नियमों, निविदा की शर्तों एवं संविदात्मक दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन किया गया है तथा विभाग के साथ हमारे संबंध सदैव सौहार्दपूर्ण एवं सहयोगात्मक रहे है। अतः विनम्र अनुरोध है कि कि उपर्युक्त तथ्यों एवं उपलब्ध अभिलेखों का निष्पक्ष एवं न्यायोचित परीक्षण करते हुए हमारी तकनीकी पात्रता को स्वीकृत करने का कष्ट करें तथा हमें वित्तीय बोली (Financial Bid) खोले जाने हेतु पात्र घोषित कर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। यह भी विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि हमारी फर्म को पूर्ण विश्वास है कि सक्षम प्राधिकारी उपलब्ध अभिलेखों, प्रस्तुत तथ्यों तथा प्रकरण की वास्तविक परिस्थितियों का निष्पक्ष एवं न्यायोचित परीक्षण करते हुए उचित निर्णय प्रदान करेंगे। तथापि, यदि उपर्युक्त तथ्यों एवं अभिलेखों पर समुचित विचार किए बिना हमारी फर्म को तकनीकी रूप से अपात्र घोषित किए जाने क निर्णय यथावत् रखा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप हमारी फर्म के वैधानिक एवं संवदात्मक अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते है, तो ऐसी परिस्थितियों मे अपने अधिकारों एवं हितों के संरक्षण तथा न्यायोचित प्रतितोष प्राप्त करने हेतु हमें, अन्य कोई प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध न रहने की दशा में सक्षम न्यायालय अथवा अन्य विधि सम्मत् मंचों की शरण ग्रहण करने के लिए विवश होना पड़ सकता है। तथापि, हमारी हार्दिक अपेक्षा है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी तथा उपलब्ध अभिलेखों एवं वास्तविक तथ्यों के आलोक में हमारी तकनीकी पात्रता को स्वीकार करते हुए हमें वित्तीय बोली		

	खोले जाने हेतु पात्र घोषित करने संबंध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अतः पुनः अनुरोध है कि उपर्युक्त तथ्यों एवं अभिलेखों के आलोक में हमारी तकनीकी पात्रता को स्वीकृत करते हुए हमें वित्तीय बोली खोले जाने हेतु पात्र घोषित करने की कृपा की जाय।		

7. **परिवाद की समीक्षा एवं तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा :–**

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षोपरान्त् एवं सम्यक् विचारोपरान्त् Kawaljeet Singh Contractor के पत्रांक–KJSC/26-27/Bihar/10 दिनांक–10.06.2026 द्वारा दिए गए आपत्ति/परिवाद को उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में उपभागीय ज्ञापांक–1799 दिनांक–09.06.2026 द्वारा संसूचित दिनांक–09.06.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:–

उक्त पुनर्निविदा के निविदाकार यथा Kawaljeet Singh Contractor से प्राप्त आपत्ति को मान्य करते हुए तकनीकी बीड में सफल घोषित करने की अनुशंसा की जाती है। शेष पाँच निविदाकार यथा (1) M/s Baijnath Nirman India Private Limited (2) M/s J.K. Engicon Private Limited (3) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. (4) M/s R.K. Jain Infra Projects Private Limited एवं (5) BPC Infraprojects Private Limited को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने की निर्णय को यथावत् रखी जाती है।

8. परिवाद समिति का निर्णय :–

(i) विषयांकित कार्य की पुनर्निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार यथा **Kawaljeet Singh Contractor** के पत्रांक–**KJSC/26-27/Bihar/10** दिनांक–10.06.2026 के द्वारा दिए गए परिवाद/आपत्ति को मान्य करने का निर्णय लिया जाता है।

(ii) सभी छः निविदाकार यथा **(1) M/s Baijnath Nirman India Private Limited (2) M/s J.K. Engicon Private Limited (3) Rai Raj Construction Pvt. Ltd. (4) M/s R.K. Jain Infra Projects Private Limited (5) BPC Infraprojects Private Limited** एवं **(6) Kawaljeet Singh Contractor** को तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता हैं। तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड खोलने का निदेश मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दिया जाता है।

(iii) उपभागीय ज्ञापांक–1799 दिनांक–09.06.2026 द्वारा संसूचित दिनांक–09.06.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(iv) मुख्य अभियंता, उत्तर संबंधित परिवादी बीडर को समिति के निर्णय से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

8.1 परिवाद समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

30/06/26	30/6/26	30/06/26	30/06/26
(सुनील कुमार सुमन) मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(राजेश कुमार गुप्ता) मुख्य अभियंता, संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(अनिल कुमार सिंह) अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(उमा कान्त रजक) अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः प्र0–7/निविदा–03–42/2025 4379 (E) पटना, दिनांक 01/07/2026

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/06/26

(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।